

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1670

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2026 को दिया जाना है।
24 मार्च, 1947 (शक)

असम में आधार नामांकन के लिए प्रतिबंध

1670. सुश्री सुष्मिता देव:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- क. क्या सरकार ने असम में, विशेष रूप से अठारह वर्ष से अधिक आयु के पहली बार के आवेदनकर्ताओं के लिए, आधार नामांकन हेतु कोई विशेष प्रतिबंध या भिन्न प्रक्रियाएं लागू या अनुमोदित की हैं;
- ख. यदि हां, तो असम में वयस्कों के लिए आधार जारी करने पर प्रतिबंध लगाने या इसे स्थगित करने का औचित्य और कानूनी आधार क्या है, और ऐसे प्रतिबंधों से किन श्रेणियों के व्यक्तियों को छूट दी गई है;
- ग. क्या यह सच है कि असम में आधार का उपयोग 100 प्रतिशत से अधिक हो गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
- घ. क्या इस तरह के अति-उपयोग या डेटा विसंगतियों की जांच की गई है ताकि अनुलिपिकरण, अनियमित नामांकन या अनुमान त्रुटियों की पहचान की जा सके, यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है, जिसमें लगभग 134 करोड़ लाइव आधार धारक हैं।

आधार नामांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति आधार संख्या जारी करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को अपनी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करता है।

सभी 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों से प्राप्त आधार नामांकन अनुरोधों को यूआईडीएआई द्वारा आवेदक के सत्यापन के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्राधिकारियों को भेजा जाता है। संबंधित प्राधिकारियों से पुष्टिकरण प्राप्त होने के बाद ही आधार तैयार किया जाता है।

असम राज्य में आधार की पहुंच का अनुमानित प्रतिशत लगभग 92 प्रतिशत है।
